भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *67 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में पत्तनों का विकास

† *67. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पत्तनों, छोटे पत्तनों और पत्तन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संस्वीकृत और व्यय की गई कुल धनराशि का वर्षवार और पत्तनवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा स्थानीय क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देकर उक्त राज्य में छोटे पत्तनों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"आंध्र प्रदेश में पत्तनों का विकास" के संबंध में श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *67 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

(क): मंत्रालय, सागरमाला योजना के अंतर्गत पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण, पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता संवर्धन, तटीय सामुदायिक विकास और तटीय पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित अवसंरचना में बढ़ोतरी करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण सहित लगभग 2,410 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के विकास के लिए 393 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। आंध्र प्रदेश में सागरमाला के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची **अनुबंध -I** में दी गई है।

(ख): सागरमाला, देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। सागरमाला योजना के तहत राज्य सरकारों को, पत्तन अवसंरचना, ड्रेजिंग सहित तटीय बर्थो, सड़क और रेल परियोजनाओं, फिशिंग हार्बरों, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय सामुदायिक विकास, क्रूज टर्मिनलों और रो-पैक्स फेरी जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला योजना के तहत उच्च सामाजिक प्रभाव वाली लेकिन बिना किसी रिटर्न या कम आंतरिक रेट ऑफ रिटर्न वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अनुबंध- 1

आंध्र प्रदेश में सागरमाला-वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची

क्र . सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वियन एजेंसी	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	संस्वीकृत निधि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	परियोजना का संस्वीकृति वर्ष
1	वीपीटी पर तटीय बर्थ का निर्माण	विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण	43.00	30.00	30.00	2015
2	कॉन्वेंट जंक्शन से गुजरते हुए एच-7 क्षेत्र से पत्तन संपर्कता सड़क तक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण - विशाखापट्टनम पत्तन	एनएचएआई	46.34	23.17	21.99	2017
3	एनएच-5 तक पत्तन सड़क संपर्कता को 2 से 4 लेन का बनाना - चरण II	एनएचएआई	77.00	20.00	20.00	2015
4	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण I - आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	0.28	0.28	0.14	2016
5	समुद्री एवं पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र -सीईएमएस – आ.प्र.- आ.प्र- में 24 में से 18 प्रयोगशालाएं	आईआरएस	574.00	37.52	36.30	2017
6	आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले के जुव्वालादिन्ने में	मत्स्य विभाग, आ.प्र. सरकार	288.00	69.15	62.23	2020

	फिशिंग हार्बर का विकास।					
7	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण 2- आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	5.98	5.98	5.98	2018
8	आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा एंकोरेज पत्तन अवसंरचना में सुधार	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	85.83	36.67	36.67	2022
9	बुदुगाटलापलेम में फिशिंग हार्बर	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	386.20	40.00	0.00	2021
10	कोठापट्टनम में फिशिंग हार्बर	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	364.00	40.00	0.00	2021
11	पुदिमदका में फिशिंग हार्बर	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	387.00	40.00	0.00	2021
12	विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण	151.81	50.00	7.34	2022

*****